(60)

285

नि0 5685/2018/शहडोल/भू-रा0

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,

शहड़ोल संभाग, लिंक कोर्ट रीवा, म0प्र0

5 रु. भारत विलोपित/विलोपित पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

अच्छेलाल तनय श्री छोटानी, उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती एवं मजदूरी, निवासी ग्राम पपौढ़, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, म0प्र0

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

मनीराम पिता रामकुमार गुप्ता, निवासी ग्राम पपौढ़, तह0 ब्योहारी, जिला शहड़ोल म0प्र0

.... गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र ... प्रस्तुत 17.9.18

17.9.18
... कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0 82/अ-3/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

<u>प्रकरण का सूक्ष्म विवरण</u>

1. यह कि आराजी खसरा क्र0 143, स्थित ग्राम पपोढ़, तहसील ब्योहारी, जिला शहड़ोल, की है। आराजी खसरा नं0 143 में लगभग बीस लोग भूमि स्वामी है और सभी के अलग-अलग बटा नम्बर कायम है। लेकिन राजस्व नक्शे पर किसी भी बटांक का नक्शा तरमीम नही था। आवेदक खसरा क्रमांक 143/3क रकबा 0.210 हेक्टे0 का भूमि स्वामी एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

60

क्रमांक निग0/5685/2018/भू-रा

जिला–शहडोल

अच्छेलाल/ मनीराम गुप्ता

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी के प्रकरण क्रमांक 82/अ–3/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	